फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

भोगपाल सिंह बनाम अशोक कुमार वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 100/2024 बार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18/6/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26/6/24 को पेश हो।	
	26/6/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/6/24 को पेश हो।	
	27/6/25	व. वादी उप. / तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हुई। बहस रिपोर्ट पर सुनी गयी। पत्रावली व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। हाल सर्वे व रिसर्वे से वाद में वर्णित ख.नं. व रिकॉर्ड में कमी/बेशी हुई है अतः संशोधित वाद पेश करना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वादी अधिवक्ता को आदेशित किया जाता है कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से संशोधित वाद पेश करें। पत्रावली आगामी दिनांक 02/7/25 को पेश हो।	
	02/7/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/7/25 को पेश हो।	
	18/7/25	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 21/7/25 को पेश हो।	
	21/7/25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय का समय समाप्त होने तक वकील वादी को बार-बार आवाज दिलायी गयी। वकील वादी	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बनाम

मुकदमा नम्बर :– /

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		आवेदक व वकील आवेदक अनुपस्थित है अतः पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नं0ः—100 / 2024

उनवान

1. योगपाल सिंह पुत्र चौथमल
2. श्याम सिंह पुत्र कानाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादीगण—

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र प्रभाती लाल, जाति पारीक, निवासी ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. आदित्य जयपुरिया पुत्र महेन्द्र जयपुरिया, जाति महाजन, निवासी ए—14, अम्बाबाड़ी, जयपुर।
3. कैलाश चन्द पुत्र मालीराम, जाति कुमावत, निवासी धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. चौथमल पुत्र मोहनलाल, जाति कुमावत, ग्राम जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
5. दामोदर माहेश्वरी पुत्र लालचन्द माहेश्वरी, जाति महाजन, निवासी डी—194, जगदीश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
6. भैंरुलाल पुत्र रामनारायण, जाति अहीर, निवासी ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. ममता पत्नी सुनील कुमार, जाति पारीक, निवासी ग्राम जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति पारीक, निवासी ग्राम जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
9. श्याम बिहारी पुत्र गोविन्दनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. सवाई सिंह पुत्र बन्ने सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :—24.03.2025

वादीगण द्वारा वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, पटवार हल्का धोबलाई, भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 47 पुराना 81 के खसरा नं0 541 रकबा 0.47 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 11/1880 निहित है तथा शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज व अंकित है। वादीगण उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित अपने हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और अपने—अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि को एतदपश्चात् 'वाद अधीन कृषि भूमि' शब्द से संबोधित किया गया है। वाद अधीन कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है और वादीगण व प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग—उपभोग करते आ रहे हैं। चूंकि वाद अधीन कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है, इसलिये वादी ने समय—समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो उक्त प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहे परन्तु अब चूंकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है, इसलिये प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है। वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण से विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा करने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा भूमि के बंटवारे में टालमटोल करते रहे। दिनांक 06.07.2024 को वादीगण अपने खेत में काम कर रहा था तब भूमि के मौके पर कुछ अजनबी लोग आये और भूमि पर नापजोख करने लगे तब वादीगण ने उन्हें इसका कारण पूछा तो उक्त लोगों द्वारा कहा गया कि उक्त भूमि हमने प्रतिवादीगण से जरिये इकरारनामा क्रय कर ली है और अब मौके पर कब्जा करेंगे तब वादीगण द्वारा कहा गया कि उक्त आराजी तो संयुक्त कब्जे काश्त की शामलाती आराजी है, जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, बिना विभाजन के उक्त आराजी का बेचान प्रतिवादीगण कैसे कर सकते हैं तथा वादीगण ने प्रतिवादीगण से इकरारनामा बाबत जानकारी चाही तो प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा

सहा... कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वादीगण को ऐलानियां धमकी दी गई कि हम तो बिना विभाजन करवाये ही भूमि को बेचान, हस्तानान्तरण करेंगे तथा वादीगण के साथ गाली–गलौच करने लगे और ऐलानियां कहा कि अब हम उक्त भूमि का बिना तकासमा करवाये बेचान करेंगे, तुम्हें करना है सो कर लेना। इस पर वादीगण को यह वाद कारण उत्पन्न हुआ, इस पर वादी ने उक्त घटना अन्य प्रतिवादीगण को बताई तो वे भी टालमटोल करने लगे। इस कारण वादी को उक्त वाद अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिये बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है।

वादी द्वारा वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि विधिक विभाजन की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में उल्लेखित राजस्व ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, पटवार हल्का धोबलाई, भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 47 पुराना 81 के खसरा नं0 541 रकबा 0.47 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के हिस्से का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (सरस–नरस) में वादीगण की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शा एवं राजस्व लगान पृथक–पृथक किया जावे। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वाद पत्र में विवादित भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक तकासमा करवाये बिना उक्त खसरान की भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बेचान–हस्तानान्तरण, अनुबंध, बैख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एवं ऐसे किसी भी लेख पत्र का पंजीयन करने से निषेद्ध रहें तथा वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रुकावट, मदाखलत, मजाहमत, निर्माण करने तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेन्ट, प्रतिनिधि, सवेन्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायी रखें तथा प्रतिवादी सं0 11 व 12 को पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करें बल्कि मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से करवाई गई, जिन्हें 1 माह से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया। वादीगण

कलक्टर
जयपुर)

मु0सं0—100/2024
उनवान—योगपाल सिंह वगै0 बनाम अशोक कुमार वगै0
निर्णय दिनांकः—24.03.2025

प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं, जो वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। पत्रावली में वर्णित विवादित आराजियात् का विधिवत तकासमा नहीं किया हुआ है। न्यायालय अभिमत में वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा विवादित भूमि वाके ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, पटवार हल्का धोबलाई, भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 47 पुराना 81 के खसरा नं0 541 रकबा 0.47 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारों के रहवास/मकानात, कब्जे काश्त एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमूँ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर बंटवारे की दिनांक बाबत् पहले अपने स्तर पर पक्षकारान को सूचित कर बंटवारा फेहरिस्त व नक्शा ट्रेस दो पड़त में तैयार कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहा. कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–100 / 2024
उनवान–योगपाल सिंह वगै0 बनाम अशोक कुमार वगै0
निर्णय दिनांकः–24.03.2025

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

1. योगपाल सिंह पुत्र चौथमल
2. श्याम सिंह पुत्र कानाराम
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र प्रभाती लाल, जाति पारीक, निवासी ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. आदित्य जयपुरिया पुत्र महेन्द्र जयपुरिया, जाति महाजन, निवासी ए–14, अम्बाबाड़ी, जयपुर।
3. कैलाश चन्द पुत्र मालीराम, जाति कुमावत, निवासी धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. चौथमल पुत्र मोहनलाल, जाति कुमावत, ग्राम जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
5. दामोदर माहेश्वरी पुत्र लालचन्द माहेश्वरी, जाति महाजन, निवासी डी–194, जगदीश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
6. भैंरुलाल पुत्र रामनारायण, जाति अहीर, निवासी ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. ममता पत्नी सुनील कुमार, जाति पारीक, निवासी ग्राम जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति पारीक, निवासी ग्राम जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
9. श्याम बिहारी पुत्र गोविन्दनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. सवाई सिंह पुत्र बन्ने सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बर :–100 / 2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

सह। कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—100 / 2024
उनवान—योगपाल सिंह वगै0 बनाम अशोक कुमार वगै0
निर्णय दिनांकः—24.03.2025

विवादित भूमि वाके ग्राम कालूकाबास उर्फ श्याम नगर, पटवार हल्का धोबलाई, भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 47 पुराना 81 के खसरा नं0 541 रकबा 0.47 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारों के रहवास / मकानात, कब्जे काश्त एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमूँ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर बंटवारे की दिनांक बाबत् पहले अपने स्तर पर पक्षकारान को सूचित कर बंटवारा फेहरिस्त व नक्शा ट्रेस दो पड़त में तैयार कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 24.03.2025 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

मोहर

ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

सहा. कलक्टर
चौमूं, जयपुर